माननीय एम.एम. कुमार, न्यायाधीश के समक्ष

अवतार सिंह,—याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन,— प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. संख्या **2622** का **1999**

23 नवंबर, **2007**

भारत का संविधान, **1950**—अनुच्छेद **226**—हरियाणा वेयरहाउसिंग कर्मचारी पेंशन नियमावली, **1996** —नियम **2**— सामान्य उपबंध अधिनियम, **1897**—धारा **5**—वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, **1962**—धारा **42**—-याचिकाकर्ता का अधिवर्षणा आयु प्राप्त करना सरकारी राजपत्र में **1996** के नियमावली के प्रकाशन से पहले—पेंशन का दावा—अस्वीकृत—क्या **1996** के नियमावली को नियम **2** द्वारा प्रदत्त तिथि से या राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होना है—नियम **2** में प्रदान किया गया है कि नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होंगे—**1897** के अधिनियम की धारा **5** में प्रदान किया गया है कि जहाँ किसी अधिनियम को विशेष दिन पर लागू होने के लिए अभिव्यक्त नहीं किया गया हो, तब संचालन की तिथि वहाँ निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है—यदि विधानमंडल ने स्वयं अपने संचालन की तिथि को निर्दिष्ट कर अपना इरादा व्यक्त किया है तो विधानमंडल को कोई अलग तिथि नहीं दी जा सकती- नियम **2** द्वारा प्रदत्त तिथि से प्रभावी होने के रूप में माना गया है—याचिका मंजूर, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को पेंशनरी लाभ जारी करने का निर्देश दिया गया।

यह माना गया कि नियम 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली हैं। दूसरे शब्दों में, नियम निर्माण प्राधिकरण ने अपना इरादा व्यक्त किया है कि नियमावली को उनके राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से लागू नहीं होना था। 1897 के अधिनियम की धारा 5 की शुरुआती पंक्तियाँ भी स्पष्ट करती हैं कि जहाँ किसी अधिनियम को किसी विशेष दिन पर लागू होने के लिए अभिव्यक्त नहीं किया गया हो, तब संचालन की तिथि को वहाँ निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि यदि विधानमंडल ने स्वयं अपने संचालन की तिथि को निर्दिष्ट कर अपना इरादा व्यक्त किया है तो विधानमंडल को कोई अलग तिथि नहीं दी जा सकती। इसलिए, मेरा विचार है कि नियमावली 27 जून, 1996 से प्रभावी हो गई है।

(अनुच्छेद 6)

इसके आगे यह माना गया कि वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962 के अनुसार धारा 42(१) के प्रावधानों की समीक्षा में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि इस खंड के तहत बनाए गए नियमन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। केवल यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे नियमन को कॉर्पोरेशन द्वारा उचित सरकार की पूर्व स्वीकृति से राजपत्र में सूचना जारी करके बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो नियमन बनाने वाली संस्था ने नियमन 2 में यह शामिल नहीं किया होता कि नियमन 27 जून, 1996 से तत्काल प्रभाव में आने वाले थे। अतः, लिखित बयान में कॉर्पोरेशन द्वारा लिए गए रुख में कोई तथ्य नहीं है और इसे तदनुसार अस्वीकार किया गया है।

(अनुच्छेद 8)

गुंजन मेहता अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

म.म. कुमार, जे.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका 3 अक्टूबर, 1996 (पी-6) और 1 फरवरी, 1999 (पी-12) को जारी संचारों को निरस्त करने की प्रार्थना करती है जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा हरियाणा वेयरहाउसिंग कर्मचारी पेंशन नियमन, 1996 ('नियमन' के लिए संक्षेप में) के तहत पेंशन के लिए उसकी प्रार्थना स्वीकार करने का दावा अस्वीकृत किया गया है। इस याचिका में उठाया गया संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या नियमन 27 जून, 1996 से प्रभावी होने वाले हैं जैसा कि नियमन 2 द्वारा प्रदान किया गया है या बाद की तारीख से जब ये नियमन राजपत्र में प्रकाशित हुए थे अर्थात् 2 जुलाई, 1996 से। उपरोक्त प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने 30 जून, 1996 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की थी और यदि नियमन जो याचिकाकर्ता को पेंशन पर स्विच करने की अनुमति देता है 27 जून, 1996 से प्रभावी होता है, तो वह नियमन के तहत पेंशन का लाभ उठा सकता है अन्यथा यदि नियमन को उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी माना जाता है अर्थात् 2 जुलाई, 1996 से, तो याचिकाकर्ता नियमन के तहत स्वीकार्य पेंशन का लाभ खो देगा। उल्लेखनीय है कि नियमन के उद्घोषणा से पहले कॉर्पोरेशन में प्रोविडेंट फंड स्कीम थी जो हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन कर्मचारी प्रोविडेंट फंड नियमन, 1971 द्वारा विनियमित थी। स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता उल्लिखित कोष का सदस्य था और उसने इस कोष के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है।

(2) लिखित बयान में, केवल यह स्थिति ली गई है कि विनियम वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 42 के तहत तैयार किए गए हैं। तदनुसार, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम की धारा 42 के तहत विनियम राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी माने जाते हैं।

(3) श्री गुंजन मेहता, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता, ने तर्क दिया है कि एक बार विनियम 2 के माध्यम से स्पष्ट इरादा प्रकट हो जाने पर, प्रतिवादी-निगम द्वारा इन विनियमों के प्रवर्तन के लिए किसी अन्य तारीख को पढ़ना वांछित नहीं होगा। उनके अनुसार, विनियम 2 के परीक्षण से स्पष्ट है कि विनियम तत्काल प्रभाव से लागू माने जाते हैं। अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि सामान्य धाराओं का अधिनियम, 1897 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 5 भी उपर्युक्त तर्क का समर्थन करती है। उनके अनुसार यह प्रावधान करता है कि जब कोई अधिनियम स्पष्ट रूप से अपने प्रचार की किसी तारीख को प्रदान नहीं करता है, तो यह केंद्रीय अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने वाले दिन को प्रचालन में आएगा। उन्होंने फिर सामान्य धाराओं का अधिनियम की धारा 5 के उप-धारा 3 का हवाला दिया है कि विनियम को इस आधार पर माना जाना चाहिए कि वे तुरंत अपनी शुरुआत से पहले की तारीख की समाप्ति पर प्रचालन में आ गए हैं जब तक कि विनियमों द्वारा स्वयं विपरीत इरादा व्यक्त नहीं किया गया हो। अधिवक्ता ने बनाए गए विनियमों द्वारा इरादे को व्यक्त करने के लिए विनियम 2 का हवाला दिया है।

(4) प्रतिवादियों की ओर से कोई भी उपस्थिति नहीं हुई है।

(5) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सुनने और पेपर बुक/नियमावली का अवलोकन करने के बाद, मैंने निष्कर्ष निकाला है कि यह याचिका सफल होनी चाहिए। यह कहना अनावश्यक है कि कोई भी अधिनियम, नियम या नियमावली जो पेंशन को उदार बनाने या पेंशन की अनुदान के लिए लक्षित है, वे सामाजिक कल्याण विधान के टुकड़े हैं। ऐसे विधान या विधायी उपकरण को उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि जो उद्देश्य ऐसे विधान प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाया जा सके। इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के व्हर्लपूल इंडिया लिमिटेड बनाम ESI कॉर्पोरेशन (1) मामले में दिए गए निर्णय पर निर्भर किया जा सकता है जहां उल्लेखित सामाजिक विधान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की व्याख्या में इस सिद्धांत का अनुप्रयोग किया गया था। इसी तरह के सिद्धांतों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत

संघ (2) मामले में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (कर्मचारियों और सेवा की शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1979 की व्याख्या करते समय और कुणाल सिंह बनाम भारत संघ (3) मामले में विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की व्याख्या करते समय अपनाए गए थे। प्रश्न में नियमावली स्पष्ट रूप से कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रणीत की गई है जो कर्मचारी भविष्य निधि को बदलकर है और इस प्रकार एक सामाजिक विधान का टुकड़ा है। पहले, नियमावली के नियम 2 और अधिनियम की धारा 5 को पढ़ना लाभदायक होगा। दोनों प्रावधान इस प्रकार पढ़े जाते हैं:—"

नोटिफिकेशन दिनांक 27 जून, 1996 का नियमन (2) 'ये तत्काल प्रभाव में आएँगे।'

अधिनियम का अनुभाग 5

"5. अधिनियमों का प्रचालन में आना।—[(1) जहां कोई केंद्रीय अधिनियम किसी विशेष दिन पर प्रचालन में आने के लिए अभिव्यक्त नहीं है, तो वह उस दिन प्रचालन में आएगा जिस दिन उसे स्वीकृति प्राप्त होती है।—

(क) संविधान के प्रारंभ होने से पहले बनाए गए केंद्रीय अधिनियम के मामले में, गवर्नर-जनरल की, और

(ख) संसद के अधिनियम के मामले में, राष्ट्रपति की।]

3. जब तक विपरीत अभिव्यक्त नहीं होता, एक [केंद्रीय अधिनियम] या नियमन को इस प्रकार समझा जाएगा कि वह उसके प्रारंभ होने से पूर्व के दिन की समाप्ति पर तत्काल प्रचालन में आ गया है।"

(6) नियमन 2 की समीक्षा से स्पष्ट है कि नियमन तत्काल प्रभाव में आने के लिए हैं। दूसरे शब्दों में, नियमन बनाने वाली प्राधिकरण ने अपनी मंशा व्यक्त की है कि नियमन उनके राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रचालन में आने के लिए नहीं हैं। अधिनियम की धारा 5 की शुरुआती पंक्तियाँ यह भी स्पष्ट करती हैं कि जहाँ किसी अधिनियम को किसी विशेष दिन प्रचालन में आने के लिए व्यक्त नहीं किया गया है, तो प्रचालन की तारीख को वहां बताई गई सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित करना पड़ सकता है। इसका अर्थ है यदि विधायिका ने स्वयं अपने प्रचालन की तारीख निर्दिष्ट करके अपना इरादा व्यक्त किया है, तो विधायिका के लिए कोई विभिन्न तारीख नहीं मानी जा सकती है। इसलिए, मैं विचारणीय दृष्टिकोण का हूँ कि विनियम 27 जून, 1996 से प्रभावी हो गए थे। उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए, इस न्यायालय के एक डिवीजन बेंच के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है जो कि किशोरी लाल बनाम पंजाब राज्य (4) मामले में था। उस मामले में एक कार्यकारी अधिकारी के निष्कासन को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ था जिसे नगर समिति, रोहतक द्वारा नियुक्त किया गया था जहाँ अधिसूचना की जारी तारीख या इसके राजपत्र में प्रकाशन मुद्दे में था। डिवीजन बेंच ने शासित किया कि पंजाब सामान्य धाराओं का अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड 36 की आवश्यकता नहीं है कि अधिसूचना केवल उस तारीख से प्रभावी हो जब इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यह निर्धारित किया गया कि सरकारी कार्यालयों में अधिसूचना उस तारीख से प्रभावी हो जाती है जब इसे जारी किया जाता है, आमतौर पर कुछ समय पहले जब इसे वास्तव में राजपत्र में छापा जा सकता है। इसलिए, राजपत्र अधिसूचना की तारीख को उस तारीख के रूप में माना नहीं गया है जब अधिसूचना प्रभावी होने वाली है। वर्तमान मामले में, विनियमों के प्रचालन की तारीख विनियम 2 के अनुसार और भी स्पष्ट है। यह संदेह से परे स्पष्ट किया गया है कि विनियम तत्काल प्रभाव से प्रचालन में आने वाले थे। तदनुसार, मैं यह धारण करता हूँ कि विनियम 27 जून, 1996 को तत्काल प्रभाव से प्रचालन में आए।

(7) प्रतिवादी-निगम का लिखित बयान जो वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962 (संक्षेप में 'निगम अधिनियम') की धारा 42 पर आधारित है, किसी विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। निगम अधिनियम की धारा 42(1) निम्नलिखित है:—

"एक वेयरहाउसिंग निगम, उचित सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नियमन बना सकता है, ताकि उन सभी मामलों के लिए प्रावधान किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या उचित हैं।"

(8) उपर्युक्त प्रावधान की समीक्षा में कहीं भी यह प्रदान नहीं किया गया है कि इस खंड के तहत बनाए गए नियमन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रचालन में आने हैं। एकमात्र प्रावधान यह है कि ऐसे नियमन को कॉर्पोरेशन द्वारा उचित सरकार की पूर्व स्वीकृति से राजपत्र में सूचना जारी करके बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो नियमन बनाने वाली प्राधिकरण ने नियमन 2 में यह शामिल नहीं किया होता कि नियमन 27 जून, 1996 से तत्काल प्रभाव में आने वाले थे। इस प्रकार, लिखित बयान में कॉर्पोरेशन द्वारा लिए गए रुख में कोई तथ्य नहीं है और इसे तदनुसार अस्वीकार किया गया है।

(9) उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिका सफल होती है। नतीजतन, प्रत्युत्तरदाता-कॉर्पोरेशन द्वारा भेजे गए 3 अक्टूबर, 1996 (पी-6) और 1 फरवरी, 1999 (पी-12) के संचार यहाँ निरस्त किए जाते हैं। प्रत्युत्तरदाता को याचिकाकर्ता को प्रोविडेंट फंड के भुगतान के बाद पेंशन संबंधी लाभ जारी करने का निर्देश दिया जाता है। चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही याचिका की प्रतीक्षा के कारण प्रोविडेंट फंड के तहत लाभ उठा चुका है, उसे कोई ब्याज स्वीकार्य नहीं होगा। ये निर्देश इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर किए जाएँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी , हरियाणा